

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 2015 ∕पौष 26, 1936
No. 35]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 2015/PAUSA 26, 1936

कारपीरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2015

सा.का.नि. 37(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखा) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- 1. (1) इन नियमों का नाम कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2015 है।
 - (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।
- 2. कंपनी (लेखा) नियम, 2014 में,—
 - (i) नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"2क. पते की सूचना जहां लेखाबहियों का अनुरक्षण किया जाना है.—धारा 128 की उप-धारा (1) के पहले परंतुक के प्रयोजनार्थ पते की सूचना जहां लेखाबहियों का अनुरक्षण किया जाना है प्ररूप एओसी-5 के अनुसार रखी जाएगी।"

(ii) नियम 6 के तीसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :"परंतु यह भी कि भारत के बाहर निगमित समुनुषंगी या समानुषंगियों वाली कंपनी के लिए केवल 01 अप्रैल,
2014 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाली वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के समेकन के संबंध में इस
नियम की कोई बात लागू नहीं होगी।"

234 GI/2015 (1)

(iii) उपाबंध में प्ररूप एओसी-4 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

प्ररूप संख्या एआसा-5
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 128 की उप-
धारा (1) के पहले परंतुक और कंपनी (लेखा) नियम,
2014 के नियम 2क के अनुसरण में]



पते की सूचना जहां लेखाबहियों का अनुरक्षण किया जाना है

	की भाषा अँग्रेजी हिंदी भरने के लिए अनुदेश किट देखें।					
	1. (क) *कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) पहले से भरा हुआ (ख) कंपनी की वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन)					
	2. (क) कंपनी का नाम (ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता					
3. *पता जहां लेखाबिहयों का अनुरक्षण किया जाना है के संबंध में निर्णय लिए जाने वाले बोर्ड के संकल्प की तारीख (दिन/मास/वर्ष)						
	11 जहां लेखाबहियों का अनुरक्षण किया जाना है क) *पता पंक्ति-! पंक्ति II					
	g) *शहर ग) *राज्य					
•	a) देश इ.) *पिन कोड					
5. उस पुलिस स्टेशन से संबंधित ब्यौरा जिसके क्षेत्राधिकार के अधीन पता जहां लेखाबहियों का अनुरक्षण का स्थान आता है						
	क) *पुलिस स्टेशन का नाम ख) *पता पंक्ति- I पंक्ति II					
(1	ग) *शहर य) *राज्य					
	ड.) देशव) व) *पिन कोड					

	संलग्नकों की सूची					
संलग्नव	5					
1.	*बोर्ड संकल्प की प्रति	संलग्न करें				
2.	वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो	संलग्न करें				
			ू संलग्नक हटाएं			
		घोषणा				
मुझे कंपनी के निदेशक बोर्ड के 'संकल्प संख्या						
*डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए डीएससी बॉक्स *पदनाम						
*निदेशक की निदेशक पहचान संख्या या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या या प्रबंधक अथवा सीईओ अथवा सीएफओ का डीआईएन/पैन						
टिप्पण : धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें गलत विवरण और गलत साक्ष्य के लिए शास्ति का प्रावधान है।						
संशोधन ः	करें प्ररूप की जांच करें	पूर्व संवीक्षा जमा	करें			
केवल कार्यालय उपयोग के लिए फाइलिंग ब्यौरे लग		यौरे लगाएं				
ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) ई-प्ररूप फाइलिंग की तारीख (दिन/मास/वर्ष)						
इस ई-प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है						
प्राधिकृत अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर जमा करने की पुष्टि करें						
हस्ताक्षर की तारीख(दिन/मास/वर्ष)						

टिप्पणः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 239(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723(अ) तारीख 14 अक्तूबर, 2014 दवारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2015

- G.S.R. 37(E).—In exercise of the powers conferred by Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:—
- 1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014,-
 - (i) after rule 2, following rule shall be inserted, namely:-
 - "2A. Notice of address at which books of account are to be maintained.—For the purposes of the first proviso to sub-section (1) of Section 128, the notice regarding address at which books of account may be kept shall be in Form AOC-5."
 - (ii) in rule 6, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
 - "Provided also that nothing in this rule shall apply in respect of consolidation of financial statement by a company having subsidiary or subsidiaries incorporated outside India only for the financial year commencing on or after 1st April, 2014."

(iii) in the Annexure, after Form AOC-4, the following Form shall be inserted, namely:—

FORM NO. AOC-5

[Pursuant to first proviso to subsection (1) of section 128 of the Companies Act, 2013 and Rule 2A of Companies (Accounts) Rules, 2014]



Notice of address at which books of account are to be maintained

Form language o English o Hindi Refer the instruction kit for filing the form. 1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company Pre-Fill (b) Global location number (GLN) of company 2.(a) Name of the company (b) Address of the registered office of the company 3. * Date of board resolution wherein a decision regarding address at which books of account are to be maintained has been taken (DD/MM/YYYY) 4. Address at which the books of account are to be maintained (a) *Address Line I Line II (b) *City (c) *State • (d) Country (e) *Pin code 5. Details pertaining to police station under whose jurisdiction the place of the address at which the books of account are to be maintained falls (a) *Police station name (b) * Address Line I Line II (c) *City (d) State (e) Country (f) *Pin code List of attachments **Attachments** Attach 1.*Copy of board resolution 2. Optional attachment(s) - if any Attach Remove attachment

Declaration						
I am authorized by the Board of Directors of the Company vide *resolution number *dated to to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.						
*To be digitally signed by DSC Box						
*Designation						
*Director identification number of the director or membership number of the company secretary or DIN/PAN of Manager or CEO or CFO						
Note: Attention is also drawn to provisions of Section 448 and 449 which provide for punishment for false statement and false evidence.						
Modify Prescrutiny Submit						
For office use only: Affix filing details						
eForm Service request number (SRN) eForm filing date (DD/MM/YYYY)						
This e-Form is hereby registered Digital signature of the authorising officer Confirm submission						
Date of signing (DD/MM/YYYY)						

[F. No. 1/19/2013-CL-V-Part]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 239(E), dated the 31st March, 2014 and was subsequently amended by notification number G.S.R. 723(E), dated the 14th October, 2014.